

## गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित बुद्ध विहार पार्ट-ए व्यवसायिक योजना में रिक्त व्यवसायिक भूखण्डों का ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर ।

पंजीकरण प्रारम्भ तिथि दिनांक- 16/07/2024

पंजीकरण समाप्ति तिथि दिनांक- 16/08/2024

व्यवसायिक सम्पत्ति का विवरण :-

सम्पत्ति का प्रकार	व्यवसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रूपये में)	पंजीकरण धनराशि (रूपये में)	
				सामान्य वर्ग न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत (रूपये में)	आरक्षित वर्ग न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 05 प्रतिशत (रूपये में)
व्यवसायिक भूखण्ड सं०-ए	779.40	95,521.00	7,44,49,068.00	74,44,907.00	37,22,454.00
व्यवसायिक भूखण्ड सं०-बी	171.68	95,521.00	1,63,99,046.00	16,39,905.00	8,19,952.00

नोट :- पंजीकरण हेतु क्या करें :-

- 1- पंजीकरण विवरण पुस्तिका रू०-1000.00 (जी०एस०टी० सहित) किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित अवधि के अन्दर आन लाईन प्राधिकरण निधि में जमा करके प्राधिकरण की वेबसाइट [www.gdagkp.in](http://www.gdagkp.in) से डाउन लोड किया जा सकता है।
- 2- निर्धारित पंजीकरण धनराशि आन लाईन प्राधिकरण निधि में जमा करना होगा।
- 3- व्यवसायिक भूखण्ड का आवंटन "जहां है, जैसे है" के आधार पर किया जा रहा है।
- 4- व्यवसायिक भूखण्ड का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जायेगा।
- 5- विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में सहायक सम्पत्ति अधीक्षक/सहायक सम्पत्ति अधिकारी/सहायक जन सम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

सम्पर्क करें : फोन नम्बर 0551-2230132, टोल फ्री नम्बर 18001202246

सचिव

उपाध्यक्ष